



NATIONAL HOUSING BANK

Head Office, New Delhi - 110003.

एसएमजीएस-IV (क्षेत्रीय प्रबंधक- जोखिम प्रबंधन), एमएमजीएस-II (उप प्रबंधक) और जेएमजीएस-I (सहायक प्रबंधक) में अधिकारियों की भर्ती

ऑनलाइन आवेदन और शुल्क का भुगतान – दिनांक 01.12.2021 से 30.12.2021 तक

(ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस विज्ञापन और वेब लिंक को www.nhb.org.in पर देखा जा सकता है)

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल- IV (क्षेत्रीय प्रबंधक - जोखिम प्रबंधन), मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल- II (उप प्रबंधक) और कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल- I (सहायक प्रबंधक) में विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

I. महत्वपूर्ण निर्देश

1. अभ्यर्थी को पद हेतु अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी

- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पात्रता मानदंड, ऑनलाइन पंजीकरण विधि, आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान, परीक्षा केंद्र, ई-कॉल लेटर जारी करने, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार प्रक्रियाओं आदि के संबंध में इस विज्ञापन में निहित सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा/ साक्षात्कार में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना सुनिश्चित करें।
- आवेदन की पंजीकरण प्रक्रिया केवल तभी पूरी होती है जब निर्धारित आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार (जहाँ भी लागू हो) भुगतान की अंतिम तिथि तक या उससे पहले ऑनलाइन मोड के माध्यम से बैंक में जमा किया गया हो।
- अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अपेक्षित आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार (जहाँ भी लागू हो) के साथ परीक्षा/ साक्षात्कार में अनंतिम रूप से भर्ती किया जाता है। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी को ई-कॉल लेटर जारी करने का यह अर्थ नहीं होगा कि बैंक द्वारा उसकी अभ्यर्थिता को अंततः मंजूरी दे दी गई है। बैंक साक्षात्कार के समय (यदि बुलाया जाता है) मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता मानदंड का सत्यापन करेगा। यदि उस स्तर पर, यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पद (आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव पूर्व योग्यता आदि) के लिए पात्रता मानदंड को पूरा नहीं कर रहा है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उसे साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी किसी भी वाहन व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं हैं।

2. आवेदन का तरीका

अभ्यर्थी दिनांक 01.12.2021 से 30.12.2021 तक रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का कोई अन्य माध्यम स्वीकार्य नहीं है।

[सहायक प्रबंधक \(स्केल I\)](#), [उप प्रबंधक \(स्केल- II\)](#), [क्षेत्रीय प्रबंधक \(स्केल- IV\)](#) के लिए ऑनलाइन आवेदन

3. महत्वपूर्ण तिथियां/माह:

विषय	अंतिम तिथि/माह [^]
पात्रता मानदंड हेतु कट-ऑफ तिथि	01.12.2021
स्केल- I, II और IV के लिए आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क/सूचना प्रभार के भुगतान के लिए वेबसाइट लिंक खुला है	01.12.2021 से 30.12.2021 (दोनों दिन सहित)
स्केल- I, II और IV के लिए आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क/सूचना प्रभार के भुगतान की अंतिम तिथि	30.12.2021
केवल स्केल- I और II हेतु ऑनलाइन परीक्षा के लिए ई-कॉल लेटर डाउनलोड करें	परीक्षा से 10 दिन पहले
केवल स्केल- I और II के लिए ऑनलाइन परीक्षा	जनवरी/फरवरी 2022
केवल स्केल- I और II के लिए ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम	फरवरी/मार्च 2022
स्केल- I, II और IV हेतु साक्षात्कार के लिए ई-कॉल लेटर डाउनलोड करें	मार्च/अप्रैल 2022
स्केल- I, II और IV के लिए साक्षात्कार का आयोजन	मार्च/अप्रैल 2022
स्केल- I, II और IV के लिए अंतिम परिणाम की घोषणा	अप्रैल /मई 2022

[^] बैंक के पास उपरोक्त अनुसूची में परिवर्तन करने का अधिकार है। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि सभी आवेदकों को अग्रिम रूप से सूचित की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपडेट हेतु रा.आ.बैंक की आधिकारिक वेबसाइट (www.nhb.org.in) के अलावा नियमित आधार पर अपना पंजीकृत ई-मेल देखते रहें।

4. रिक्तियों की संख्या

क.	नई भर्तियां					
	रिक्तियों की संख्या					
पद	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.- नॉ.क्रि.ले. [^]	ईडब्ल्यूएस	सामान्य	कुल
सहायक प्रबंधक (स्केल I)	03	01	03	01	06	14

क.	नई भर्तियां					
पद	रिक्तियों की संख्या					
	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.- नॉ.क्रि.ले.^	ईडब्ल्यूएस	सामान्य	कुल
ख.	पिछले विज्ञापनों में प्रकाशित रिक्त आरक्षित रिक्तियां					
	रिक्तियों की संख्या					
	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.- नॉ.क्रि.ले.^	ईडब्ल्यूएस	सामान्य	कुल
उप प्रबंधक (स्केल II)	-	01	-	01	-	02
क्षेत्रीय प्रबंधक (स्केल IV)- जोखिम प्रबंधन	-	-	01	-	-	01

अ.जा.: अनुसूचित जाति; अ.ज.जा.: अनुसूचित जनजाति; अ.पि.व.- नॉ.क्रि.ले.: अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर; ईडब्ल्यूएस: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

^ 'नॉन-क्रीमी लेयर' से संबंधित अ.पि.व. अभ्यर्थी अ.पि.व. श्रेणी के तहत आरक्षण के हकदार हैं। अ.पि.व. 'क्रीमी लेयर' अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी को 'सामान्य' के रूप में इंगित करना चाहिए।

स्केल-I के 14 रिक्तियों में से, 01 रिक्ति निर्धारित दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षित है। इसका विवरण इस प्रकार है-

निर्धारित दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षित रिक्ति				
दृष्टिबाधित दिव्यांगता (दृ.दि.)	श्रवण बाधित दिव्यांगता (श्र.दि.)	गतिविषयक दिव्यांगता (ग.दि.)	बौद्धिक दिव्यांगता (बौ.दि.)/बहु- दिव्यांगता (ब.दि.)	कुल
-	-	01	-	01

दृ.दि.: दृष्टिबाधित (नेत्रहीनता एवं अल्प दृष्टि); श्र.दि.: श्रवण बाधित (बधिर या कम सुनने वाला); ग.दि.: गतिविषयक दिव्यांगता (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीडित, ठीक किया हुआ कुष्ठ, बौनापन, एसिड हमले से पीडित तथा मांसपेशीय दुर्विकास); बौ.दि.: बौद्धिक दिव्यांगता (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता); ब.दि.: बहु-दिव्यांगता

(बधिर-दृष्टिहीनता सहित दृष्टिबाधित (दृ.दि.), श्रवण बाधित (श्र.दि.) और गतिविषयक (ग.दि.) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ)।

- निर्धारित दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी किसी भी श्रेणी अर्थात् सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस से संबंधित हो सकते हैं। निर्धारित दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी के लिए आरक्षण समस्तरीय है और पद के लिए कुल रिक्तियों के भीतर है।
- आरक्षित श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी, जिनके लिए कोई आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, सामान्य श्रेणी के लिए घोषित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते उन्हें सामान्य श्रेणी के लिए लागू सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।
- ऊपर दी गयी कुल रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और बैंक की वास्तविक जरूरत के आधार पर यह बढ़/घट सकती है। रा. आ. बैंक के पास अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाने और वास्तविक जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों पर विचार करने का अधिकार है।

5. पात्रता

कृपया ध्यान दें कि विज्ञापन में निर्दिष्ट पात्रता मानदंड पद हेतु आवेदन करने के लिए मूल मानदंड हैं। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार और बैंक द्वारा आवश्यक भर्ती प्रक्रिया के किसी भी आगामी प्रक्रिया स्तर के समय ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में इंगित मूल में प्रासंगिक दस्तावेजों और श्रेणी, राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षणिक योग्यता आदि से संबंधित उनकी पहचान और पात्रता के समर्थन में एक फोटोकॉपी प्रदान करनी होगी। कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के बाद किसी भी स्तर पर श्रेणी में बदलाव की अनुमति नहीं होगी और इस संबंध में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अधीन, ऑनलाइन आवेदन में जिस श्रेणी को इंगित किया गया है, उस पर विचार करते हुए परिणाम प्रोसेस किया जाएगा। पद के लिए आवेदन करना, ऑनलाइन परीक्षा में और/या आगामी साक्षात्कार में और/अथवा आगामी प्रक्रियाओं के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि अभ्यर्थी को अनिवार्यतः बैंक में रोजगार दिया ही जायेगा। जिस अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, उसके अलावा किसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.1 राष्ट्रीयता/नागरिकता

अभ्यर्थी को निम्न होना चाहिये-

- (i) भारत का नागरिक हो, या
- (ii) नेपाल की प्रजा हो, या

(iii) भूटान की प्रजा हो, या

(iv) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थाई रूप से बसने की इच्छा से आये हों (1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गये हों), या

(v) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थाई रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व तंजानिका और जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन किया हो।

बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणियों (ii), (iii), (iv) एवं (v) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

5.2 ऊपरी आयु सीमा में छूट:

पद	आयु (न्यूनतम)	आयु (अधिकतम)
सहायक प्रबंधक (स्केल I)	21 वर्ष	30 वर्ष
उप प्रबंधक (स्केल II)	23 वर्ष	32 वर्ष
क्षेत्रीय प्रबंधक (स्केल IV)	30 वर्ष	45 वर्ष

टिप्पणी: विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा सामान्य और ईडब्ल्यूएस श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए लागू है।

ऊपरी आयु सीमा में छूट:

क्र.स.	अभ्यर्थी की श्रेणी	आयु में छूट
5.2 (क)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
5.2 (ख)	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	3 वर्ष
5.2 (ग)	'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के अंतर्गत यथा परिभाषित निर्धारित दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)।	दिव्यांगजन (सामान्य) - 10 वर्ष दिव्यांगजन (अ.जा./अ.ज.जा.) - 15 वर्ष दिव्यांगजन (अ.पि.व.) - 13 वर्ष

<p>5.2 (घ)</p>	<p>भूतपूर्व सैनिक (आपातकालीन कमीशन अधिकारी (ईसीओ)/लघु सेवा कमीशन अधिकारी (एसएससीओ) सहित) बशर्ते आवेदकों ने कम से कम 5 वर्ष सैन्य सेवा प्रदान की हो और कार्यभार (इनमें वे भी शामिल है जिनका कार्यभार 6 महीने के अंदर पूरा होने वाला हो) पूरा करने पर सेवामुक्त किए गए हों, इसके अलावा दुराचरण या अकुशलता के कारण बर्खास्त नहीं किए गए हों या/ शारीरिक दिव्यांगता के कारण सेवामुक्त किया गया हो या सैन्य सेवा से शारीरिक दिव्यांगता या अशक्ता के कारण सेवामुक्त किया गया हो।</p> <p>ऐसे ईसीओ/एसएससीओ जिन्होंने सैन्य सेवा की अपने पाँच वर्ष का कार्यभार की अवधि पूरा कर ली हो लेकिन उसका कार्य पाँच वर्ष के बाद बढ़ा दिया गया हो और ऐसे मामले जिसमें रक्षा मंत्रालय ने प्रमाणपत्र जारी किया हो कि चयन होने पर वे नियुक्ति के प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से तीन माह के अंदर सेवामुक्त कर दिए जाएंगे।</p>	<p>5 वर्ष</p>
---------------------------	--	---------------

टिप्पणियां:

- i. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए उन्हें दिए गए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने के बाद सिविल पद पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है, सरकारी नौकरी में पुनर्नियुक्ति के उद्देश्य हेतु उनके भूतपूर्व सैनिक की स्थिति समाप्त हो जाती है।
- ii. बिंदु 5.2 (ग) में आयु सीमा में दी गयी छूट सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार संचयी आधार पर अनुमत्य होगी।
- iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट केवल इन श्रेणियों के आरक्षित रिक्तियों के लिए लागू है। जहां रिक्तियां आरक्षित नहीं हैं, वहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान माना जाएगा अर्थात सामान्य रिक्तियों के लिए कोई छूट उपलब्ध नहीं है।
- iv. ऐसे अभ्यर्थी जो आयु में छूट चाह रहे हैं उन्हें बैंक की अपेक्षा अनुसार साक्षात्कार के समय और भर्ती प्रक्रिया के किसी भी बाद के चरण में मूल में अपेक्षित प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) के साथ उसकी फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होगी।
- v. अधिकारी संवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों हेतु कोई आरक्षण नहीं है।

5.3 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (यथा 01.12.2021 को):

i. जेएमजीएस-I (सहायक प्रबंधक):

शैक्षणिक योग्यता	योग्यता के बाद का अनुभव	अपेक्षित निर्धारित व्यापक कौशल
<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों (अ.जा./अ.ज.जा./निर्धारित दिव्यांगजन के मामले में 55%) के साथ किसी भी विषय में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री या 55% अंकों (अ.जा./अ.ज.जा./निर्धारित दिव्यांगजन के मामले में 55%) के साथ किसी भी विषय में पूर्णकालिक स्नातकोत्तर या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष योग्यता</p> <p>चार्टर्ड एकाउंटेंट/सीएमए/कंपनी सचिव की योग्यता वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं।</p> <p>अभ्यर्थी के पास वैध मार्क-शीट/डिग्री प्रमाणपत्र/व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वह 01.12.2021 को स्नातक डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री/चार्टर्ड एकाउंटेंट/सीएमए/कंपनी सचिव (जहाँ भी लागू हो) है और ऑनलाइन पंजीकरण करते समय स्नातक डिग्री /स्नातकोत्तर/व्यावसायिक योग्यता में प्राप्त अंक इंगित करना चाहिये।</p>	<p>कोई पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है, किसी भी प्रासंगिक अनुभव को वेटेज दिया जाएगा।</p>	<p>लिखित और मौखिक संचार कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता और आर्थिक परिदृश्य की सामान्य समझ।</p>

ii. एमएमजीएस – II (उप प्रबंधक) हेतु न्यूनतम शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता और योग्यता के बाद का अनुभव (01.12.2021 को) :

पद	न्यूनतम शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता	योग्यता के बाद का न्यूनतम अनुभव 01.12.2021 को)
उप प्रबंधक	किसी भी विषय में स्नातक डिग्री। वांछनीय: एमबीए (वित्त) को प्राथमिकता दी जाएगी।	भारत में बैंकों/वित्तीय संस्थानों/विनियामक निकायों में 02 वर्ष का अनुभव जो कि ऋण मूल्यांकन, लेखा परीक्षा और जोखिम से संबंधित रहा हो।

iii. एसएमजीएस- IV (क्षेत्रीय प्रबंधक) जोखिम प्रबंधन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता और योग्यता के बाद का अनुभव (01.12.2021 को) :

पद	न्यूनतम शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता	योग्यता के बाद का न्यूनतम अनुभव 01.12.2021 को)
क्षेत्रीय प्रबंधक	के साथ, स्नातक डिग्री- (क) ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल से वित्तीय जोखिम प्रबंधन में व्यावसायिक योग्यता, या (ख) पीआरएमआईए संस्थान से व्यावसायिक जोखिम प्रबंधन प्रमाणन; वांछनीय शैक्षणिक योग्यता: (क) सीएफए संस्थान द्वारा प्रदत्त चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट चार्टर का धारक, या (ख) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान या विदेश समकक्ष द्वारा सनदी लेखाकार के रूप में नामित, या	अनिवार्य अनुभव: एक या एक से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रबंधक (स्केल-II) या इससे उच्च अधिकारी के स्तर पर कॉर्पोरेट क्रेडिट और जोखिम प्रबंधन में 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या जिनका कॉर्पोरेट क्रेडिट में एक वर्ष और जोखिम प्रबंधन में एक वर्ष के न्यूनतम अनुभव के साथ एक या एक से अधिक विनियमित उधारकर्ता संस्थान में समान भूमिका और जिम्मेदारियां हों। वांछनीय अनुभव: वैश्लेषिकी के कार्यनुभव के साथ बाजार जोखिम और/या चलनिधि प्रबंधन और /या परिचालन

	(ग) भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, या विदेश समकक्ष द्वारा लागत और प्रबंधन लेखाकार के रूप में नामित	जोखिम की अच्छी समझ को अतिरिक्त वांछनीय अनुभव के रूप में माना जायेगा।
--	--	--

टिप्पणियां:

जेएमजीएस-I (सहायक प्रबंधक):

- i. ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंतिम परिणाम प्रतीक्षित है, आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं।
- ii. उल्लिखित सभी शैक्षणिक योग्यताएं भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालयों/संस्थानों या संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक संस्थानों से होनी चाहिए या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-3 के तहत विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।
- iii. अभ्यर्थियों को 01.12.2021 को या उससे पहले विश्वविद्यालयों/संस्थानों से घोषित परिणाम के उचित दस्तावेज साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी अंक-पत्र या अनंतिम प्रमाण-पत्र पर प्रदर्शित होने की तिथि होगी। यदि किसी विशेष परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय/संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाता है और वेब आधारित प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो उचित दस्तावेज/प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय/संस्थान के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा **मूल में** जारी और हस्ताक्षरित होने चाहिये जिसमें उस पर ठीक से उल्लिखित उत्तीर्ण होने की तारीख का उल्लेख सत्यापन और आगे की प्रक्रिया के लिए इंगित होना चाहिये।
- iv. ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के निकटतम दो दशमलव को दर्शाने होंगे। यदि विश्वविद्यालय/संस्थानों ने समग्र ग्रेड प्वाइंट (अर्थात् सीजीपीए/ओजीपीए आदि) दिए हों तो उन्हें प्रतिशत में रूपांतरित करके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाना होगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर, अभ्यर्थी को उचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समग्र ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में रूपांतरित करने संबंधी विश्वविद्यालय के नियम एवं उन नियमों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए अंकों के प्रतिशत लिखे होने चाहिए।
- v. प्रतिशत की गणना: सभी सेमेस्टर/वर्षों में सभी विषयों में प्राप्त किए हुए अंको को ऑनर्स/वैकल्पिक/अतिरिक्त वैकल्पिक विषय यदि कोई हो, के बावजूद अधिकतम अंकों से विभाजित करके प्रतिशत अंक निकाले जाएंगे। यह नियम उन विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू होगा, जहां वर्ग/श्रेणी केवल ऑनर्स के अंको पर आधारित हो। इस तरह निकाले गए प्रतिशत में अपूर्णांक को नजरअंदाज किया जाएगा, जैसे 59.99% को 60% से कम समझा जाएगा; 54.99% को 55% से कम समझा जाएगा और 49.99% को 50% से कम समझा जाएगा।

ii. एमएमजीएस-II (उप प्रबंधक) और एसएमजीएस-IV (क्षेत्रीय प्रबंधक) जोखिम प्रबंधन:

- i. अभ्यर्थी को कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु निपुण; आपसी संवाद में अभ्यर्थी संवाद कुशल; विश्लेषणात्मक एवं ड्रॉफ्टिंग में कुशलता; सूक्ष्म जानकारियों पर ध्यान देने की योग्यता; एक समय पर अनेक कार्य करने के साथ टीम निर्माण की कुशलता; अन्य संस्थान में किए गये कार्य का आकर्षक एवं उत्तम ट्रेक रिकॉर्ड होना चाहिए।
- ii. उल्लिखित सभी शैक्षणिक योग्यता पूर्ण कालिक एवं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से होनी चाहिए।
- iii. ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के निकटतम दो दशमलव को दर्शाने होंगे। यदि विश्वविद्यालय/संस्थानों ने समग्र ग्रेड प्वाइंट (अर्थात् सीजीपीए/ओजीपीए आदि) दिए हों तो उन्हें प्रतिशत में रूपांतरित करके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाना होगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर अभ्यर्थी को उचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समग्र ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में रूपांतरित करने संबंधी विश्वविद्यालय के नियम एवं उन नियमों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए अंकों के प्रतिशत लिखे होने चाहिए।
- iv. प्रतिशत की गणना: सभी सेमेस्टर/वर्षों में सभी विषयों में प्राप्त किए हुए अंको को ऑनर्स/वैकल्पिक/अतिरिक्त वैकल्पिक विषय यदि कोई हो, के बावजूद अधिकतम अंकों से विभाजित करके प्रतिशत अंक निकाले जाएंगे। यह नियम उन विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू होगा, जहां वर्ग/श्रेणी केवल ऑनर्स के अंको पर आधारित हो।
- v. अभ्यर्थी के पास वैध अंक सूची/डिग्री प्रमाणपत्र/व्यावसायिक योग्यता प्रमाणपत्र होना चाहिए, जिसमें वर्णित हो कि वह यथा 01.12.2021 तक स्नातक/स्नातकोत्तर/सनदी लेखाकार/आईसीडब्ल्यूआई आदि है और ऑनलाइन पंजीकरण करते समय स्नातक/स्नातकोत्तर/व्यावसायिक योग्यता में प्राप्त अंकों का प्रतिशत इंगित करें।
- vi. योग्यता के बाद अनुभव पर विचार केवल न्यूनतम अनुभव के आकलन हेतु किया जाएगा।
- vii. यदि डिग्री/डिप्लोमा का प्रमाण पत्र विशेषज्ञता के क्षेत्र को निर्दिष्ट नहीं करता है, तो अभ्यर्थियों को विशेषज्ञता का उल्लेख करते हुए संबंधित विश्वविद्यालय/कॉलेज से प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।
- viii. ऐसे मामलों में जहां एक विशिष्ट क्षेत्र में अनुभव की आवश्यकता होती है, प्रासंगिक अनुभव प्रमाण पत्र में विशेषतः यह होना चाहिए कि अभ्यर्थी को उस विशिष्ट क्षेत्र में अनुभव था।
- ix. बैंक शैक्षणिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता और/या योग्यता के बाद अनुभव से संबंधित पात्रता मानदंडों को परिवर्तित या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आवश्यकता के आधार पर, बैंक आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी नोटिस के और बिना कोई कारण बताए भर्ती प्रक्रिया के किसी भी या सभी प्रावधानों को रद्द करने या रोकने या कम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- X. उपरोक्त पदों के लिए आउटसोर्सिंग विक्रेता, सेवा प्रदाता, नोलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (केपीओ)/बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) या आईटी समर्थन सेवा प्रदाता के माध्यम से अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.4 निर्धारित दिव्यांगजन हेतु आरक्षण

“दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016” की धारा 34 के अंतर्गत केवल निर्धारित दिव्यांगजन ही आरक्षण हेतु पात्र हैं। “निर्धारित दिव्यांगता वाले व्यक्ति से आशय उस व्यक्ति से है जो विनिर्दिष्ट दिव्यांगता का कम से कम चालीस प्रतिशत दिव्यांग हो, उन मामलों में जहां विनिर्दिष्ट दिव्यांगता को मापन श्रेणी में नहीं रखा गया है, प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी के प्रमाणन के अनुसार इसके अंतर्गत वह दिव्यांग व्यक्ति भी आता है जिसकी दिव्यांगता को मापन की श्रेणी में रखा गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल दिव्यांगताओं की आरक्षित श्रेणियां नामतः हैं:

- क. दृष्टिहीनता एवं अल्प दृष्टि;
- ख. बधिर एवं कम सुनने वाला;
- ग. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित, ठीक किया हुआ कुष्ठ, बौनापन, एसिड हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय दुर्विकास सहित चालन संबंधी दिव्यांगता;
- घ. ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता;
- ड. बधिर-दृष्टिहीनता सहित (क) से (घ) खंडों के अंतर्गत व्यक्तियों के साथ-साथ बहु-दिव्यांगताएं।

टिप्पणी:

- i. उपरोक्त निर्दिष्ट दिव्यांगताओं की परिभाषा “दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016” के अनुसार होंगी।
- ii. निर्धारित दिव्यांग अभ्यर्थी किसी भी श्रेणी अर्थात् सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस से हो सकते हैं। निर्धारित दिव्यांग व्यक्तियों हेतु आरक्षण समस्तरीय हैं और इस पद हेतु कुल रिक्तियों के भीतर हैं।
- iii. निर्धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों के पास “दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016” के माध्यम से निर्धारित सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी नवीनतम दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए। ऐसे प्रमाणपत्र की बैंक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्णय अनुसार जांच/पुनः जांच की जा सकती है।

स्क्राइब का उपयोग और प्रतिपूरक समय:

वे अभ्यर्थी जो दृष्टिबाधित है एवं जिनकी लिखने की गति किसी भी कारण स्थायी रूप से प्रभावित है, वे ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अपनी लागत पर अपने स्क्राइब का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे सभी मामलों में, जहां स्क्राइब का उपयोग किया जाता है, उनपर निम्नलिखित नियम लागू होंगे;

- i. अभ्यर्थी को अपनी स्वयं की लागत पर स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी।
- ii. अभ्यर्थी एवं स्क्राइब, दोनों को स्क्राइब के पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ, निर्धारित प्रारूप में, उपयुक्त वचनपत्र देना होगा, जो यह पुष्टि करेगा कि स्क्राइब उपरोक्त उल्लिखित अनुसार स्क्राइब हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड की सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त, यदि बाद में यह पता चलता है कि उन्होंने किसी भी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया है या सामग्री के तथ्यों को छिपाया है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता, परीक्षा के परिणाम के बावजूद रद्द कर दी जाएगी।
- iii. ऐसे अभ्यर्थी जो स्क्राइब का उपयोग करते हैं वे परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय हेतु पात्र होंगे या अन्यथा उन्हें परीक्षा के हर घंटे पर सूचित किया जाता रहेगा।
- iv. अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाने वाला स्क्राइब ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी नहीं होगा। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो अभ्यर्थी और स्क्राइब दोनों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा में स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने के इच्छुक और पात्र अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसे अनिवार्य रूप से सावधानीपूर्वक इंगित करना होगा। बाद के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।
- v. केवल प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही ऐसी छूट की अनुमति दी जाएगी क्योंकि अभ्यर्थियों को दिया गया प्रतिपूरक समय प्रणाली आधारित होगा, यदि वह इसके लिए पंजीकृत नहीं है तो परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के लिए ऐसा समय देना संभव नहीं होगा। प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को ऐसी छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- vi. गतिविषयक दिव्यांगता और सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश –
गतिविषयक दिव्यांगता और सेरेब्रल पाल्सी जहां लिखने की गति काफी प्रभावित कम होती है (न्यूनतम 40% दिव्यांगता) से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए प्रति घंटे बीस मिनट या अन्यथा जैसा उन्हें सूचित किया गया है, प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी।
- vii. दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश –

क. दृष्टिबाधित अभ्यर्थी (जो कम से कम 40% दिव्यांगता से पीड़ित हैं) परीक्षा की सामग्री को आवर्धित फ्रॉन्ट में देखने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे सभी अभ्यर्थी हर घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे या अन्यथा जैसा परीक्षा में सूचित किया जायेगा।

ख. परीक्षा की सामग्री को आवर्धित फ्रॉन्ट में देखने की सुविधा उन दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी जो परीक्षा के लिए स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करते हैं।

viii. बौद्धिक दिव्यांगता (बौ.दि.) वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश-

परीक्षा के प्रति घंटे बीस मिनट का प्रतिपूरक समय, चाहे अभ्यर्थी एक स्क्राइब की सेवाओं का लाभ उठा रहा है या नहीं, 40% से अधिक बौद्धिक दिव्यांगता (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता) वाले अभ्यर्थियों को अनुमति दी जाएगी।

ix. कोई भी अभ्यर्थी जो स्क्राइब का उपयोग कर रहा है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा में स्क्राइब का उपयोग करने के लिए पात्र है। उपरोक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन में स्क्राइब का उपयोग करने वाले किसी भी अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है, यदि वह पहले ही बैंक में कार्यभार ग्रहण हो चुका है।

ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।

5.5 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31.01.2019 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/1/2019-Estt (Res) के अनुसार श्रेणी ईडब्ल्यूएस का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति जो अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. हेतु आरक्षण की योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रूपए (आठ लाख रूपए मात्र) से कम है उन्हें आरक्षण के लाभ हेतु ईडब्ल्यूएस के तौर पर चिन्हित किया जाएगा। आवेदन के वर्ष से पूर्व वित्त वर्ष हेतु आय में सभी स्रोत अर्थात् वेतन, कृषि, कारोबार, पेशा आदि से आय भी शामिल की जायेगी।

ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार के पास निम्नलिखित आस्तियों में से कोई है उन्हें ईडब्ल्यूएस के रूप में चिन्हित नहीं किया जाएगा, चाहे उनकी पारिवारिक आय कुछ भी हो:-

i.5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;

ii. 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक का रिहायशी फ्लैट;

iii. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का रिहायशी प्लॉट;

iv. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का रिहायशी प्लॉट।

ईडब्ल्यूएस स्थिति को निर्धारित करने हेतु भूमि या संपत्ति धारण जांच करते हुए विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थलों/शहरों में 'परिवार' द्वारा धारित संपत्ति को शामिल किया जाएगा।

इस उद्देश्य हेतु 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन के साथ ही उनके पति/उनकी पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल होंगे।

आय और संपत्ति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी:-

उपरोक्त उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, 'ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने पर प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाणपत्र ही केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

- i. जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/अनुमंडल न्यायाधीश/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- ii. मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।
- iii. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के रैंक से नीचे का न हो।
- iv. अनुमंडल अधिकारी या वह क्षेत्र जहां आमतौर पर अभ्यर्थी और/या उसका परिवार निवास करता है।

अस्वीकरण: ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अस्थायी हैं और भारत सरकार के आगे के निर्देशों और किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं।

ये दिशा-निर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देश / स्पष्टीकरण, यदि कोई है, के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।

6. चयन प्रक्रिया

पद के लिए चयन दो स्तरीय प्रक्रियाओं यानी शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार के माध्यम से जेएमजीएस-I (स.प्र.) और एमएमजीएस-II (उ. प्र.) और एसएमजीएस-IV (क्षे. प्र.) के लिए दो चरण प्रक्रिया अर्थात ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा।

क. जेएमजीएस-I (स.प्र.) के लिये चयन प्रक्रिया

चरण 1 : ऑनलाइन परीक्षा

ऑनलाइन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक दोनों प्रकार की परीक्षा होगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के 200 अंक होंगे, समय 3 घंटा और उसमें 4 खण्ड होंगे। प्रत्येक खण्ड के लिये अलग समय निर्धारित होगा। ऑनलाइन परीक्षा की संरचना निम्नानुसार होगी:

क्रम सं०	परीक्षा का नाम (क्रम में नहीं)	प्रश्नों की सं०	अधिकतम अंक	परीक्षा माध्यम	प्रत्येक खण्ड के लिए नियत समय (पृथक समय)	परीक्षा की किस्म
1	तर्कशक्ति एवं कंप्यूटर अभिरुचि	45	60	अंग्रेजी व हिन्दी	60 मिनट	
2	सामान्य जानकारी (अर्थव्यवस्था व बैंकिंग पर विशेष ध्यान) तथा कंप्यूटर ज्ञान	50	50	अंग्रेजी व हिन्दी	40 मिनट	
3	अंग्रेजी भाषा	25	30	अंग्रेजी	35 मिनट	

4	संख्यात्मक अभिरुचि (डाटा विशलेषण व व्याख्या पर विशेष ध्यान)	35	60	अंग्रेजी व हिन्दी	45 मिनट	वस्तुनिष्ठ
	कुल	155	200		3 घंटे	
	अंग्रेजी भाषा* (पत्र लेखन तथा निबंध)	2	25	अंग्रेजी	30 मिनट	व्याख्यात्मक

*व्याख्यात्मक परीक्षा 25 अंकों की अंग्रेजी भाषा की परीक्षा है। परीक्षा 30 मिनट की होगी और इसमें दो भाग होंगे एक में पत्र लेखन और दूसरा निबंध। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर टाइप करके यह परीक्षा देनी होगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा समाप्त होते ही शीघ्र व्याख्यात्मक परीक्षा शुरू हो जाएगी। व्याख्यात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा अभ्यर्थियों को इसमें निर्धारित अंक प्राप्त करने होंगे। व्याख्यात्मक परीक्षा पत्र का मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा वस्तुनिष्ठ परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही किया जाएगा।

बैंक को परीक्षा की प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार है जिसकी सूचना बैंक की वेबसाइट पर दी जाएगी। परीक्षा के बारे में अन्य विस्तृत जानकारी एक इंफार्मेशन हैंडआउट में दी जाएगी जिसे अभ्यर्थियों के लिये प्राधिकृत एनएचबी वेबसाइट www.nhb.org.in से ई-कॉल पत्रों के साथ डाउनलोड करने के लिये उपलब्ध कराई जाएगी।

गलत उत्तरों के लिये पेनल्टी:

वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के पांच विकल्प होंगे जिनमें से कोई एक सही होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में गलत चिन्हित उत्तर के लिये पेनल्टी होगी। प्रत्येक गलत चिन्हित उत्तर के लिये, उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों के एक चौथाई अंक काट कर सही योग ज्ञात होगा। यदि कोई प्रश्न छोड़ दिया जाता है अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा कोई उत्तर चिन्हित नहीं किया जाता तो उस प्रश्न के लिये कोई पेनल्टी नहीं होगी।

अंक:

- प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा भिन्न खण्डों में प्राप्त सही योग (यदि हों) को इक्वि-पर्सेंटाइल विधि से सामान्य किया जाएगा।
- दो दशमलव अंक तक स्कोर को गणना में शामिल किया जाएगा।

कट-ऑफ अंक (ऑनलाइन परीक्षा):

प्रत्येक अभ्यर्थी को वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रत्येक खंड में न्यूनतम अंक प्राप्त करना अपेक्षित होगा और साक्षात्कार के लिये चयन करते समय भी न्यूनतम अंकों पर विचार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को व्याख्यात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और उसमें प्राप्त अंकों पर साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थियों का चयन करते समय विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, अभ्यर्थी को व्याख्यात्मक परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। व्याख्यात्मक परीक्षा का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की शर्त पर ही किया जाएगा।

उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर, कट-आफ का निर्धारण किया जाएगा और अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिये चयन किया जाएगा। साक्षात्कार प्रक्रिया समाप्त होने से पूर्व, ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंक साक्षात्कार के लिये चयनित अभ्यर्थियों को सूचित नहीं किये जाएंगे।

चरण II – साक्षात्कार:

वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर श्रेणीवार योग्यता सूची तैयार की जाएगी। साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने हेतु न्यूनतम कुल कट ऑफ अंक बैंक द्वारा रिक्तियों की संख्या के संबंध में तय किए जाएंगे। साक्षात्कार के लिए चुने गए अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। साक्षात्कार केवल नई दिल्ली में रा.आ.बैंक के प्रधान कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार के समय और तिथि के संबंध में विवरण शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ई-कॉल लेटर में सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपना साक्षात्कार ई-कॉल लेटर रा.आ.बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.nhb.org.in से डाउनलोड करना होगा। कृपया ध्यान दें कि साक्षात्कार की तिथि, समय, केंद्र आदि में परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, बैंक के पास आकस्मिक परिस्थितियों, यदि कोई हो, में साक्षात्कार की तिथि/समय/केंद्र आदि को बदलने या विशेष तिथि/सत्र/केंद्र/अभ्यर्थियों के समूह हेतु पूरक प्रक्रिया आयोजित करने का अधिकार है। अभ्यर्थी हिंदी या अंग्रेजी में साक्षात्कार का विकल्प चुन सकते हैं।

साक्षात्कार के लिए आबंटित कुल अंक 50 हैं। साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हक अंक बैंक द्वारा तय किए जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार का वेटेज (अनुपात) क्रमशः 80:20 होगा। अंतिम चयन योग्यता सूची के द्वारा होगा जिसे अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन दी गई परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़ने के बाद तैयार किया जाएगा। अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में सफल होना चाहिए तथा अंतिम चयन सूची में आने के लिये पर्याप्त अधिकाधिक अंक प्राप्त करने चाहिए।

ख. एमएमजीएस- II (उप प्रबंधक) हेतु चयन प्रक्रिया

चरण I: ऑनलाइन परीक्षा:

क्रम सं०	परीक्षा का नाम (क्रम में नहीं)	प्रश्नों की सं०	अधिकतम अंक	परीक्षा माध्यम	प्रत्येक परीक्षा के लिए आवंटित समय	परीक्षा का प्रकार
1.	सामान्य अभिरूचि (अर्हकारी प्रकृति)				2 घंटे का समग्र समय	वस्तुनिष्ठ
	तर्कशक्ति	25	25	अंग्रेजी व हिन्दी		
	संख्यात्मक अभिरूचि	25	25	अंग्रेजी व हिन्दी		
	अंग्रेजी भाषा	25	25	अंग्रेजी		
2.	सामान्य जानकारी	25	25	अंग्रेजी व हिन्दी		
3.	व्यावसायिक ज्ञान (जोखिम, ऋण एवं लेखा परीक्षा)	50	100	अंग्रेजी व हिन्दी		
		150	200			

तर्कशक्ति, संख्यात्मक अभिरूचि एवं अंग्रेजी भाषा की परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। अभ्यर्थियों को इन पेपरों में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे। न्यूनतम अर्हकारी अंक बैंक द्वारा तय किए जाएंगे।

सामान्य जानकारी एवं व्यावसायिक ज्ञान परीक्षा में प्राप्त अंकों का उपयोग केवल साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्टिंग होने के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थियों को सामान्य जानकारी एवं व्यावसायिक ज्ञान परीक्षा के लिए बैंक द्वारा तय किए जाने वाले कट-ऑफ अंकों के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होंगे।

चरण II – साक्षात्कार:

साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हक अंक बैंक द्वारा तय किए जाएंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

योग्यता सूची: चयन के लिए मेरिट सूची केवल साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी कट-ऑफ अंक (कट-ऑफ पॉइंट पर सामान्य अंक) स्कोर करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को मेरिट में, अवरोही क्रम में उनकी आयु के अनुसार रैंक दी जाएगी।

कृपया नोट करें कि अभ्यर्थी को निम्नलिखित दस्तावेजों के बिना ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

1. परीक्षा की संबंधित तिथि एवं सत्र हेतु वैध ई-कॉल लेटर
2. मूल में समान नाम वाला फोटो पहचान प्रमाण (यथा विनिर्दिष्ट) लाना होगा जैसा कि आवेदन प्रपत्र/ई-कॉल लेटर में है और
3. फोटो-पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी (उपरोक्त (2) में यथा उल्लिखित)

परीक्षा के लिए ई-कॉल लेटर पर विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के पश्चात अर्थात: विलंब से रिपोर्टिंग करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ई-कॉल लेटर पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय परीक्षा के प्रारंभ समय से पहले का है। हालांकि स्केल- I के लिए ऑनलाइन परीक्षा की अवधि 3 घंटे 30 मिनट और स्केल- II की अवधि 2 घंटे है, अभ्यर्थियों को लगभग 4 घंटे और 3 घंटे या उससे अधिक समय हेतु परीक्षा स्थल पर उपलब्ध रहना अपेक्षित है, जिसमें विभिन्न औपचारिकताओं जैसे विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन एवं संग्रह, लॉगिंग करना, निर्देश देना आदि को पूरा करना शामिल है।

अंतिम चयन केवल साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर होगा।

ग. एसएमजीएस-IV (क्षेत्रीय प्रबंधक) हेतु चयन प्रक्रिया

चयन शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार के आधार पर होगा। आवेदन और पात्रता मानदंड पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में, स्क्रीनिंग समिति द्वारा आवेदनों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग करने हेतु शॉर्टलिस्टिंग योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

चयन शैक्षणिक, व्यावसायिक योग्यता, योग्यता के बाद के अनुभव और साक्षात्कार में किये गये प्रदर्शन के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में न्यूनतम अंकों को प्राप्त करना होगा और अंतिम रैंक पर अंतिम रैंक सूची तैयार करने पर ही विचार किया जायेगा। हालांकि, पद के लिए चयन उस पद के लिए संबंधित श्रेणी रैंक सूची में उनके पद पर आधारित होगा।

चयन के लिए योग्यता सूची साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी कट-ऑफ अंक (कट-ऑफ पॉइंट पर सामान्य अंक) स्कोर करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को मेरिट में, अवरोही क्रम में उनकी आयु के अनुसार रैंक दी जाएगी।

केवल न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। बैंक द्वारा गठित चयन समिति हेतु मानदंड तय करेगी और तत्पश्चात बैंक द्वारा निर्णित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या का चयन किया जायेगा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने का बैंक का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में बैंक द्वारा किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा। केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने से अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अधिकार प्राप्त नहीं हो होता है। बैंक अभ्यर्थी की योग्यता, उपयुक्तता, अनुभव आदि के संदर्भ में प्रारंभिक स्क्रीनिंगचयन के बाद साक्षात्कार/र के लिए केवल अपेक्षित अभ्यर्थियों को बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

स्केल- I, II एवं IV के लिए साक्षात्कार हेतु उपस्थित होते समय, अभ्यर्थी को नीचे दिए गए वैध निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। दस्तावेजों की अनुपस्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (जैसा लागू हो):

अभ्यर्थी की पात्रता और पहचान के समर्थन में **मूल और स्व-सत्यापित फोटोकॉपी में** निम्नलिखित दस्तावेजों को साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से लाना अपेक्षित है, न लाने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को न लाने पर भर्ती प्रक्रिया में आगे हिस्सा लेने से उसकी अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा।

- (i) वैध साक्षात्कार ई-कॉल लेटर का प्रिंटआउट।
- (ii) पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का वैध सिस्टम जनरेटेड प्रिंटआउट।
- (iii) जन्म तिथि का प्रमाण (सक्षम नगरपालिका प्राधिकारण द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र या जन्म तिथि के साथ एसएसएलसी/ X क्लास प्रमाणपत्र)।

- (iv) विज्ञापन के बिंदु 10(झ) में इंगित फोटो पहचान प्रमाण
- (v) स्नातक या स्नातकोत्तर आदि की मार्क शीट या प्रमाण पत्र 01.12.2021 को या उससे पहले विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा घोषित परिणाम वाले उचित दस्तावेज जमा करना होगा।
- (vi) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र ओबीसी वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, प्रमाणपत्र में विशेष रूप से एक खंड होना चाहिए कि अभ्यर्थी भारत सरकार के अधीन नागरिक पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण के अभिलाभों को छोड़कर क्रिमी लेयर वर्ग में नहीं आता है। क्रिमी लेयर वाले ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष) के दौरान जारी किया जाना चाहिए। प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति का नाम केंद्र सरकार की सूची / अधिसूचना के साथ पत्र द्वारा पत्र से मेल खाना चाहिए। साक्षात्कार के समय, ओबीसी अभ्यर्थी को उस वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जारी गैर- क्रिमी लेयर खंड वाला जाति प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है। ओबीसी वर्ग में आने वाले अभ्यर्थी परंतु जो क्रिमी लेयर में आते हैं और / या यदि उनकी जाति को केंद्रीय सूची में जगह नहीं मिलती है तो वे ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में सामान्य वर्ग के रूप में अपनी श्रेणी को इंगित करना होगा।
- (vii) बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणी वाले व्यक्तियों के मामले में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा के समय स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग किया है, तो उसे निर्धारित प्रारूप में स्क्राइब का विवरण विधिवत भरना होगा।
- (viii) ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र। आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किया जाने वाला होना चाहिए। साक्षात्कार के समय, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को वित्तीय वर्ष उस 2021-22 के दौरान आय तथा संपत्ति प्रमाण पत्र लाना होगा।
- (ix) भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय पेंशन भुगतान आदेश और अंतिम / वर्तमान में दी गयी (मूल के साथ कार्यकारी) रैंक के दस्तावेजी प्रमाण के साथ सेवा या सेवामुक्त बुक की प्रति प्रदान करनी होगी।
- (x) अभ्यर्थी जो सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित) में कार्य कर रहा है, को साक्षात्कार के समय उनके संबंधित नियोक्ता द्वारा जारी “अनापत्ति प्रमाणपत्र” लाना अपेक्षित है, जिसके अभाव में उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा और यात्रा व्यय, यदि कोई हो, अन्यथा का भुगतान नहीं किया जाएगा।

- (xi) अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई हो
- (xii) योग्यता के बाद अनुभव का प्रमाणपत्र
- (xiii) उपर्युक्त बिंदु 5.1 की श्रेणियों (ii), (iii), (iv) और (v) में आने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा
- (xiv) योग्यता के समर्थन में कोई अन्य संबंधित दस्तावेज

टिपपणी: -यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त उल्लिखित संबंधित पात्रता दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्षात्कार के समय प्रासंगिक पात्रता दस्तावेजों को न लाने पर, भर्ती की आगे की प्रक्रियाओं के लिए अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन/ईडब्ल्यूएस को प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन/ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से आने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय इसके समर्थन में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

अभ्यर्थियों को साक्षात्कार आदि के समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिक के समर्थन में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अलावा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिक श्रेणियों के प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे।

7. परिलब्धियां और सेवा शर्तें

पद	स्केल	वेतनमान* (रुपये में)	प्रति माह^ समेकित पारिश्रमिक (रुपये में) (लगभग)
सहायक प्रबंधक	(स्केल I)	36000 – 1490/7 – 46430 – 1740/2 – 49910 – 1990/7 – 63840	60,056.72/-
उप प्रबंधक	(स्केल II)	48170 – 1740/1 – 49910 – 1990/10 – 69810	79,621.49/-
क्षेत्रीय प्रबंधक	(स्केल IV)	76010 – 2220/4 – 84890 – 2500/2 – 89890	1,26,954.37/-

^उपरोक्त दिये वेतनमान के अनुसार परिलब्धियों के अतिरिक्त, पद में बैंक के आवास (बैंक के विवेक पर समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित आवास की उपलब्धता के अधीन), चिकित्सा/हास्पिटलाइजेशन के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति, टेलीफोन/मोबाइल शुल्क,

ज्ञान भत्ता, आवासीय साज-सजा, आदि जैसी सुविधाएं पात्रता के अनुसार शामिल हैं। अन्य लाभ जैसे आवास ऋण, वाहन ऋण, त्यौहार अग्रिम, एलटीसी, ग्रेच्युटी अवकाश नकदीकरण, पीएफआरडीए आदि द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत लागू नियमानुसार मिलते हैं।

पदों के लिए नियुक्त अभ्यर्थी के लिए परिवीक्षा अवधि निम्नानुसार प्रदान की गई है:

पद	परिवीक्षा अवधि
सहायक प्रबंधक (स्केल I)	2 वर्ष जो बैंक के विवेक पर विस्तार योग्य है।
उप प्रबंधक (स्केल II)	चयनित अभ्यर्थी बैंक में नियुक्ति की तिथि से 1 वर्ष की सक्रिय सेवा की अवधि हेतु
क्षेत्रीय प्रबंधक (स्केल IV)	परिवीक्षा पर रहेगा, जो बैंक के विवेक पर विस्तार योग्य है।

चयनित अभ्यर्थी समय-समय पर अपने विभिन्न कार्यालयों में बैंक के विवेकाधिकार पर तथा उपर्युक्त नियमों एवं शर्तों पर जो बैंक द्वारा तय किए जा सकते हैं, तैनात/स्थानांतरित किये जा सकते हैं।

8. आवेदन शुल्क और सूचना प्रभार (अप्रतिदेय)

क्रम सं.	श्रेणी	राशि*
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूबीडी	175/- रूपये (केवल सूचना प्रभार)
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पीडब्ल्यूबीडी के अतिरिक्त	850/- रूपये (सूचना प्रभार सहित आवेदन शुल्क)

* वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर

टिप्पणी : एक बार आवेदन किए जाने पर आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार अदा किया गया

आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी परीक्षा अथवा चयन हेतु अलग रखा जाएगा। यदि आवेदन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निरस्त कर दिया जाता है/उस पर विचार नहीं किया जाता है तो आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार भी वापस नहीं किया जाएगा। बैंक/लेनदेन प्रभार, यदि लागू हो, अभ्यर्थी वहन करेगा। आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार पर लागू जीएसटी अभ्यर्थी वहन करेगा। निर्धारित आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार के बिना प्राप्त आवेदनों को सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा। शुल्क/सूचना प्रभारों का भुगतान इस विज्ञापन में दी गई निर्धारित विधि से ही किया जाए।

9. ऑनलाइन परीक्षा केंद्र

ऑनलाइन परीक्षा हेतु केंद्रों की संभावित सूची इस प्रकार है –

क्र.सं.	केंद्रों का नाम	क्र.सं.	केंद्रों का नाम
1.	अहमदाबाद/गांधीनगर	11.	कोलकाता/ग्रेटर कोलकाता
2.	बेंगलुरु	12.	लखनऊ
3.	भोपाल	13.	मुंबई/नवी मुंबई/ग्रेटर मुंबई
4.	भुवनेश्वर	14.	नागपुर
5.	चंडीगढ़	15.	नई दिल्ली – एनसीआर
6.	चेन्नई	16.	पटना
7.	देहरादून	17.	रायपुर
8.	गुवाहाटी	18.	रांची
9.	हैदराबाद	19.	तिरुवनंतपुरम
10.	जयपुर	20.	विशाखापत्तनम

टिप्पणियां:

- i. बैंक किसी भी केन्द्र को रद्द करने और/ या प्रत्युत्तर के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा आदि के कारण कुछ अन्य केन्द्र को जोड़ने का अधिकार रखता है।
- ii. बैंक को अभ्यर्थियों द्वारा चयनित केन्द्रों के अतिरिक्त अन्य केन्द्र आबंटित करने का भी अधिकार है।
- iii. परीक्षा के स्थान/दिनांक/सत्र में परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

- iv. अभ्यर्थी अपने जोखिम एवं खर्च पर परीक्षा केंद्र में परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे बैंक द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाएगा अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि आदि के लिए भी रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा
- v. अभ्यर्थी द्वारा एक बार चुना गया केंद्र अंतिम होगा
- vi. यदि अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या 'ऑनलाइन' परीक्षा हेतु विशेष केंद्र का विकल्प नहीं चुनते हैं तो रा.आ. बैंक के पास उन अभ्यर्थियों को कोई अन्य सहायक केंद्र आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित है अथवा यदि अभ्यर्थियों की संख्या केंद्र में ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपलब्ध क्षमता से अधिक है तो रा.आ. बैंक के पास कोई अन्य केंद्र आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित है
- vii. परीक्षा हॉल में किसी भी अभद्र व्यवहार/ दुर्व्यवहार के कारण अभ्यर्थिता को रद्द/ उस परीक्षा के अयोग्य घोषित तथा आईबीपीएस/रा.आ.बैंक द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं से भी वंचित किया जा सकता है

10. पहचान सत्यापन

i. प्रदान किये जाने वाले दस्तावेज

साक्षात्कार के समय, निरीक्षक को ई-कॉल लेटर के साथ अभ्यर्थी की फोटो की पहचान की फोटोकॉपी (ई-कॉल लेटर में नाम जैसा ही हो) जैसे पैन कार्ड/पासपोर्ट/स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचान पत्र/ फोटोग्राफ के साथ बैंक पासबुक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमाण/ फोटोग्राफ के साथ जनप्रतिनिधि/ किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र/फोटोग्राफ के साथ आधार/ई-आधार कार्ड/कर्मचारी आईडी, सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी की पहचान को प्रस्तुत किये गये अपेक्षित दस्तावेजों एवं ई-कॉल लेटर पर उसके विवरण के संबंध में सत्यापित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी की पहचान संदिग्ध पाई गई तो उसे परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- जिन अभ्यर्थियों ने अपना नाम बदल दिया है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे अपना मूल विवाह प्रमाण पत्र/मूल में शपथ पत्र आदि जैसे आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।

टिप्पणी: अभ्यर्थियों को मूल में समान नाम वाला फोटो पहचान प्रमाण लाना होगा जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र/ई-कॉल लेटर में है और साक्षात्कार में भाग लेने के दौरान साक्षात्कार ई-कॉल लेटर के साथ फोटो पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी जमा करनी होगी, जिसके बिना उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ii ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराने के सोशल डिस्टेंसिंग मोड से संबंधित निर्देश

अभ्यर्थियों के समूह का अलग-अलग रिपोर्टिंग समय मुद्रित किया जाएगा। अभ्यर्थी को भीड़ से बचने के लिए रिपोर्टिंग समय से पहले रिपोर्ट करना होगा।

क. अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में उल्लिखित टाइम स्लॉट और/या परीक्षा तिथि से पहले अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर / मेल पर एसएमएस/मेल के माध्यम से सूचित किये जाने के अनुसार परीक्षा स्थल पर समय से पहुंचना अपेक्षित है। अभ्यर्थी से यह उम्मीद की जाती है कि वह टाइम स्लॉट का पूरी तरह से पालन करेंगे क्योंकि परीक्षा स्थल में प्रवेश केवल वैयक्तिक टाइम स्लॉट के आधार पर प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थियों को कॉल लेटर पर इंगित किए गए रिपोर्टिंग समय से कम से कम 15 मिनट पहले रिपोर्ट करना होगा।

ख. अभ्यर्थी के रोल नंबर और लैब नंबर की मैपिंग परीक्षा स्थल के बाहर प्रदर्शित नहीं की जाएगी, लेकिन उक्त को अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पर प्रवेश के समय वैयक्तिक रूप से सूचित किया जाएगा और उन्हें अपना प्रवेश पत्र / कॉल लेटर और आईडी सत्यापन जमा करने होंगे करेंगे।

ग. अभ्यर्थियों की परीक्षा स्थल में अनुमति प्राप्त वस्तुएं

अभ्यर्थियों को अपने साथ केवल कुछ वस्तुओं को परीक्षा स्थल में ले जाने की अनुमति होगी। विवरण इस प्रकार हैं-

- मास्क (मास्क पहनना अनिवार्य है)
- दस्ताने
- निजी पारदर्शी पानी की बोतल
- निजी हैंड सेनीटाइजर (50 मिलीलीटर)
- साधारण पैन
- परीक्षा से संबंधित दस्तावेज (कॉल लेटर / प्रवेश-पत्र, मूल आईडी कार्ड, आईडी कार्ड की फोटोकॉपी, आदि)
- कॉल लेटर / प्रवेश-पत्र के साथ स्टेपल की गयी फोटो आईडी की फोटोकॉपी लानी होगी। मूल आईडी (फोटोकॉपी के समान) को भी सत्यापन हेतु लाना होगा। आईडी और कॉल लेटर / प्रवेश पत्र पर नाम उक्त के बिल्कुल समान होना चाहिए।
- स्क्राइब अभ्यर्थियों के मामले में - स्क्राइब फार्म विधिवत भरा हुआ होना चाहिए और चिपकी हुई फोटोग्राफ पर हस्ताक्षर होने चाहिए।

परीक्षा स्थल के अंदर किसी अन्य वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं है।

घ. अभ्यर्थी को अपने निजी सामान को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए।

- ड. अभ्यर्थी को अन्य से सावधानीपूर्वक सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए।
- च. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पर दिये गये निर्देशों के अनुसार पंक्ति में खड़ा होना चाहिए।
- छ. यदि अभ्यर्थी लेखकका उपयोग कर रहा है तो लेखकको अपने दस्ताने, एन95 मास्क, सैनीटाइजर (50 मिली) एवं पानी की बोतल भी लानी चाहिए। मास्क पहनना अनिवार्य है। **अभ्यर्थी एवं स्क्राइब दोनों को एन95 मास्क पहनना अपेक्षित है।**
- ज. अभ्यर्थी के अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। आरोग्य सेतु में अभ्यर्थी की जोखिम की स्थिति प्रदर्शित होनी चाहिए। अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में प्रवेश के समय सुरक्षा गार्ड को यह स्थिति दिखानी होगी। यदि किसी अभ्यर्थी के पास स्मार्ट फोन नहीं है, तो उसे इस आशय से संबंधित एक हस्ताक्षरित घोषणा पत्र (अनुबंध- I में प्रदान किया गया घोषणा पत्र) लाना होगा और उक्त को परीक्षा स्थल पर प्रवेश के समय सुरक्षा गार्ड को भी दिखाना होगा। आरोग्य सेतु पर मध्यम या उच्च जोखिम की स्थिति वाले अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। घोषणा में किसी भी प्रतिक्रिया के मामले में कोविड-19 संक्रमण / लक्षण के संकेत मिलते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

[यह निर्देश अभ्यर्थी द्वारा लाए गए स्क्राइब पर भी लागू होंगे]

- झ. प्रवेश द्वार पर आरोग्य सेतु की स्थिति दिखाने के पश्चात, अभ्यर्थी को अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करना अपेक्षित होगा और परीक्षा के बाद बाहर निकलते समय इसे एकत्र करने के लिए निर्दिष्ट स्थान पर जमा कराना होगा।
- ञ. प्रवेश द्वार पर सभी अभ्यर्थियों के तापमान की थर्मो गन से जांच की जाएगी। किसी भी व्यक्ति का तापमान सामान्य (> 99.14 ° F) से अधिक होने पर या वायरस का कोई भी लक्षण पाये जाने के मामलों में, उन्हें परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ट. **अभ्यर्थी का पंजीकरण:**
- अभ्यर्थी का पंजीकरण फोटो संकलन के माध्यम से किया जाएगा
 - फोटोग्राफ अभ्यर्थी को खड़ा करके ली जाएगी।
 - अभ्यर्थी को सीट नंबर दिया जाएगा।
- ठ. **रफ शीट कॉल लेटर और पहचान प्रमाण पत्र प्रबंधन**
- प्रत्येक अभ्यर्थी के डेस्क पर रखी रफ शीट का उपयोग अभ्यर्थी द्वारा किया जाएगा। परीक्षा के दौरान कोई अतिरिक्त शीट प्रदान नहीं की जाएगी।
 - अभ्यर्थी को निर्दिष्ट स्थान पर या बाहर निकलते समय लैब/स्थल से बाहर प्रदान किये गए बॉक्स में पहचान प्रमाण पत्र की प्रति के साथ कॉल लेटर जमा करने से संबंधित निर्देशों का पालन करना होगा। वे अभ्यर्थी जो स्क्राइब की सेवा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें कॉल लेटर एवं पहचान प्रमाण पत्र की प्रति के साथ स्क्राइब फॉर्म भी जमा करना होगा।

- अभ्यर्थी को लैब/स्थल से बाहर निकलने समय प्रदान किये गए बॉक्स में रफ शीट जमा करानी होगी। रफ शीट जमा करने के लिए बॉक्स कॉल लेटर बॉक्स से अलग होगा। विशिष्ट निर्देश परीक्षा स्थल पर लिखे हुए होंगे।

ड. परीक्षा के पश्चात सावधानी

एक शिफ्ट पूरी होने के बाद, अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल के कर्मचारियों के निर्देशानुसार व्यवस्थित तरीके से बिना भीड़ लगाए बाहर जाना होगा।

(परीक्षा से संबंधित कुछ और निर्देश परीक्षा की निर्धारित तिथि के दौरान स्थिति के आधार पर जोड़े या संशोधित किए जा सकते हैं)।

11. आवेदन कैसे करें

निम्नलिखित हेतु विस्तृत दिशानिर्देश/ प्रक्रियाएं

- क. आवेदन पंजीकरण
- ख. शुल्क का भुगतान
- ग. स्कैन और अपलोड दस्तावेज

अभ्यर्थी सिर्फ 01.12.2021 से 30.12.2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अन्य किसी प्रकार से किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पंजीकरण पूर्व ध्यान दिये जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु

ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व, अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे-

(i) निम्नलिखित स्कैन करें:

- फोटोग्राफ (4.5 सेमी × 3.5 सेमी)
 - हस्ताक्षर (काली स्याही की कलम से)
 - बायें हाथ के अंगूठे का निशान (काली या नीली स्याही से सफेद कागज पर)
 - हस्त लिखित घोषणा (काली स्याही की कलम से सफेद कागज पर) (पाठ नीचे दिया गया है)
- यह सुनिश्चित करना कि सभी स्कैन किए गए दस्तावेज आवश्यक विनिर्देशों का पालन करते हैं जैसा कि इस विज्ञापन के बिंदु 11 (ग) में दिया गया है।

(ii) “बड़े अक्षरों” में हस्ताक्षर स्वीकार “नहीं” किए जाएंगे।

- (iii) बाएं हाथ के अंगूठे के निशान को अच्छी तरह से स्कैन किया जाना चाहिए और उस पर धब्बा नहीं होना चाहिए (यदि किसी अभ्यर्थी का बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है, तो वह आवेदन करने के लिए अपने दायें हाथ के अंगूठे का उपयोग कर सकता/सकती है।)
- (iv) हस्त लिखित घोषणा इस प्रकार है –
 “मैं _____ (अभ्यर्थी का नाम), एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन प्रपत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सभी जानकारी सही, सत्य और वैध है। मैं आवश्यकता पड़ने पर सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।”
- (v) उपर्युक्त उल्लिखित हस्त लिखित घोषणा अभ्यर्थी के हाथ से लिखा और केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए। यदि यह किसी और के द्वारा या किसी अन्य भाषा में लिखा और अपलोड किया जाता है, तो आवेदन को अवैध माना जाएगा। (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के मामले में जो लिख नहीं सकते हैं, उन्हें घोषणा का लिखा हुआ पाठ मिलेगा और वे टाइप की गयी घोषणा के नीचे अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगायेंगे और विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज अपलोड करेंगे)।
- (vi) अपेक्षित आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवश्यक विवरण / दस्तावेज रखें।
- (vii) वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नं. रखें, जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक चालू रखा जाना चाहिए। बैंक पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से साक्षात्कार आदि हेतु कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए सूचना भेज सकता है। यदि अभ्यर्थी के पास वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी नई ई-मेल आईडी बनानी होगी और मोबाइल नं. लेना होगा तथा उस ईमेल अकाउंट और मोबाइल नंबर को अपने पास रखना होगा।

आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार (अप्रतिदेय) के ऑनलाइन शुल्क का भुगतान : 01.12.2021 से 30.12.2021 ।

आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक लेनदेन शुल्क अभ्यर्थी को वहन करना होगा।

क. आवेदन पंजीकरण

1. अभ्यर्थी राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट (www.nhb.org.in) के “**Opportunities@NHB**”
 → “वर्तमान रिक्तियां” → “विभिन्न स्केलों में अधिकारियों की भर्ती – 2021” → ऑनलाइन आवेदन के लिये यहाँ क्लिक करें, जिससे एक नई स्क्रीन खुल जाएगी।

2. आवेदन को पंजीकृत करने के लिए, “नए पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें” टैब को चुनें और नाम, संपर्क विवरण और ई-मेल आईडी को प्रविष्ट करें। सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड दिया जाएगा एवं स्क्रीन पर दिखाई देगा। अभ्यर्थी अनंतिम पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड नोट करें। अनंतिम पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड स्पष्ट करता हुआ ई-मेल और एसएमएस भी भेज दिया जाएगा। आप अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके सेव किये गये डेटा को फिर से खोल सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो विवरण को एडिट कर सकते हैं।

3. अभ्यर्थियों को निम्न अपलोड करना अपेक्षित है –

- फोटोग्राफ
- हस्ताक्षर
- बाएं हाथ के अंगूठे का निशान
- हस्तलिखित घोषणा

इस विज्ञापन के बिंदु 11 (ग) में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार।

4. आवेदन प्रपत्र को एक बार में पूरा न कर पाने वाले अभ्यर्थी “सेव एंड नेक्स्ट” टैब को चुन कर पहले से प्रविष्ट डेटा को सेव कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में विवरणों की पुष्टि करने के लिए “सेव एंड नेक्स्ट” सुविधा का उपयोग करें और यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन करें। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र को ध्यान से भरना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिये सत्यापन/विवरण सत्यापित करना चाहिये कि उक्त अंतिम प्रस्तुत करने से पहले सही है।

5. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे स्वयं सावधानीपूर्वक ऑनलाइन आवेदन में विवरण भरें क्योंकि “फाइनल सबमिट” बटन पर क्लिक के पश्चात परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होगी/अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. अभ्यर्थी के नाम अथवा उसके पिता/पति आदि के नाम की वर्तनी ठीक वही होनी चाहिए जो प्रमाण पत्र/ अंक तालिका/ पहचान प्रमाण में दी गई हो। कोई भी बदलाव/परिवर्तन उसकी अभ्यर्थिता को रद्द कर सकता है।

7. अपने द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि करें और ‘वैलिडेट योर डिटेल्स’ एवं ‘सेव एंड नेक्स्ट’ बटन के क्लिक द्वारा अपने आवेदन को सेव करें।

8. अभ्यर्थी अब बिंदु 11 (ग) के अंतर्गत स्कैनिंग एवं फोटोग्राफ और हस्ताक्षर विवरण के अपलोड के लिए दिशानिर्देश में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने का कार्य कर सकते हैं।

9. अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र में दिए गए अन्य विवरण को भरें।

10. प्रीव्यू टैब को क्लिक करें और ‘फाइनल सबमिट’ के पूर्व, पूरे आवेदन की जांच करें।

11. यदि आवश्यक हो तो, विवरण में संशोधन करें और 'फाइनल सबमिट' बटन पर केवल तभी क्लिक करें जब यह सत्यापित और सुनिश्चित हो जाए कि आपके द्वारा अपलोड किया गया फोटोग्राफ, हस्ताक्षर व भरे गए अन्य विवरण सही हैं।
12. 'पेमेंट' टैब को क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।
13. 'सबमिट' बटन को क्लिक करें।

ख. शुल्क का भुगतान

अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार का भुगतान करना होगा।

1. आवेदन प्रपत्र को गेटवे भुगतान के साथ एकीकृत किया गया है एवं भुगतान की प्रक्रिया को निर्देशों का पालन करके पूरा किया जा सकता है।
2. भुगतान केवल डेबिट कार्ड (रुपये/वीसा/मास्टरकार्ड/मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, केश कार्ड/मोबाइल वॉलेट्स का प्रयोग करके किया जा सकता है।
3. ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में भुगतान से संबंधित अपनी जानकारी प्रस्तुत करने के पश्चात, "कृपया सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें। दो बार प्रभार से बचने के लिए बैंक अथवा रीफ्रेश बटन न दबायें"।
4. लेन-देन सफलतापूर्वक पूरा होने पर एक ई-रसीद प्रस्तुत की जाएगी।
5. यदि ई-रसीद प्रस्तुत नहीं होती तो इसका अर्थ है "भुगतान" नहीं हो सका है। भुगतान पूरा न होने पर, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपनी अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए फिर से लॉगिन करें और भुगतान की प्रक्रिया को दोहराएँ।
6. अभ्यर्थियों को शुल्क विवरण के साथ **ई-रसीद** और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का **प्रिंटआउट** लेना आवश्यक है। **कृपया नोट करें कि यदि उक्त प्रस्तुत नहीं होता है, तो यह हो सकता है कि ऑनलाइन लेन-देन का कार्य पूरा न हुआ हो।**
7. क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए: सभी प्रभारों को भारतीय रुपये में सूचीबद्ध किया गया है। यदि आप गैर भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपका बैंक प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर आपकी स्थानीय मुद्रा में बदल देगा।
8. अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कृपया अपना लेन-देन पूरा होने पर ब्राउज़र विंडो बंद कर दें।
9. शुल्क के भुगतान के पश्चात शुल्क के विवरण वाले आवेदन प्रपत्र का पुनः प्रिंट निकालने का भी प्रावधान है।

कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित सभी विवरण जिसमें अभ्यर्थी का नाम, वर्ग, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परीक्षा केंद्र आदि शामिल हैं, को अंतिम माना जाएगा और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करने के बाद किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को अत्यंत सावधानी के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि विवरणों के परिवर्तन के संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। रा.आ.बैंक को आवेदन प्रपत्र में आवश्यक विवरण प्रदान करने के लिए आवेदन में गलत और अपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने से होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा।

आवेदन के सफल पंजीकरण से जनरेट पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ ईमेल / एसएमएस सूचना को सिस्टम जनरेटेड पावती के रूप में ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में विनिर्दिष्ट अभ्यर्थी के ईमेल आईडी / मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यदि अभ्यर्थियों को उनके द्वारा विनिर्दिष्ट ईमेल आईडी / मोबाइल नंबर पर ईमेल और एसएमएस सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे समझ सकते हैं कि उनका ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत नहीं हुआ है।

ऑनलाइन आवेदन जो किसी भी विषय में अधूरा है जैसे कि उचित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की गयी हस्तलिखित घोषणा/शुल्क जमा करने की प्रक्रिया पूर्ण न होना/सूचना प्रभार भुगतान को वैध नहीं माना जाएगा।

अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे समापन तिथि से बहुत पहले ऑन-लाइन आवेदन करें और शुल्क/सूचना प्रभार जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें ताकि इंटरनेट/वेबसाइट जाम पर भारी लोड होने पर रा.आ.बैंक की अधिकृत वेबसाइट पर लॉग इन करते समय डिस्कनेक्शन/अक्षमता/विफलता से बचा जा सके।

रा.आ.बैंक अभ्यर्थियों द्वारा उपरोक्त कारण से या रा.आ.बैंक के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत न करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त प्रक्रिया आवेदन जमा करने की एकमात्र वैध प्रक्रिया है। आवेदन करने की किसी अन्य प्रणाली या अधूरे चरणों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी अभ्यर्थी के लिए वैयक्तिक रूप से बाध्यकारी होगी और यदि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी/विवरण बाद के चरण में गलत पाए जाते हैं, तो वह अभियोजन / सिविल परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

ग. दस्तावेजों को स्कैन एवं अपलोड करने हेतु दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपनी फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन (डिजिटल) इमेज की आवश्यकता होगी।

फोटोग्राफ प्रतिरूप (4.5 से.मी. X 3.5 से.मी.):

- फोटोग्राफ नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार का होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि तस्वीर की पृष्ठभूमि, हल्के रंग के समक्ष, अधिमानतः सफेद होनी चाहिए।
- तनाव-मुक्त चेहरे के साथ कैमरे की ओर देखें।
- यदि तस्वीर तेज धूप वाले दिन ली गई हो, तो सूर्य आप के पीछे हो, या आप छाया वाली जगह खड़े हो जाएं जिससे कि फोटो में आप तिरछी दृष्टि से देखते हुए ना नजर आएं और वहां कोई कठोर छायाएं न आ जाएं।
- यदि आप फ्लैश का प्रयोग कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि "रेड-आई" न हो।
- यदि आप चश्मा पहनते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि फोटो में कोई प्रतिबिंब न हो और आपकी आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हों।
- कैप, टोपी और काले चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं। धार्मिक रिवाज के चलते सिर के पहनावे की अनुमति है परंतु इससे आपका चेहरा नहीं ढकना चाहिए।
- आयाम 200 X 230 पिक्सल (अधिमानतः)
- फ़ाइल आकार 20 केबी-50 केबी के बीच होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का आकार 50 केबी से अधिक न हो। यदि फ़ाइल का आकार 50 केबी से अधिक का हो, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान स्कैनर की सेटिंग जैसे डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) रिज़ोल्यूशन, रंगों की संख्या इत्यादि को समायोजित करें।
- यदि फोटो को साक्षात्कार के समय फोटो लगाने के स्थान पर अपलोड नहीं किया जाता है तो उसे रद्द / अस्वीकार कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी स्वयं उक्त के लिये जिम्मेदार होगा।

- अभ्यर्थी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि फोटो को फोटो के स्थान पर और हस्ताक्षर को हस्ताक्षर के स्थान पर अपलोड किया गया है। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड की जाने वाली फोटो आवश्यक आकार की हो और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

हस्ताक्षर, बायें हाथ का अंगूठे का निशान और हस्त लिखित घोषणा इमेज :

- आवेदक को काली स्याही के कलम से सफेद कागज पर हस्ताक्षर करने हैं।
- आवेदक को काली या नीली स्याही में सफेद कागज पर अपने बायें हाथ का अंगूठे का निशान लगाना है।
- आवेदक को काली स्याही में सफेद कागज पर अंग्रेजी में घोषणा लिखनी है।
- हस्ताक्षर, बाएं हाथ का अंगूठे का निशान और हस्त लिखित घोषणा केवल आवेदक द्वारा हों न कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा।
- हस्ताक्षर केवल कॉल लेटर पर होना चाहिये और जहां भी आवश्यक हो।
- साक्षात्कार के समय हस्ताक्षरित कॉल लेटर, उपस्थिति शीट पर लिए गए आवेदक के हस्ताक्षर, अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाने की स्थिति में, अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- आयाम 140 X 60 पिक्सल (अधिमानतः)
- हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान के लिये फ़ाइल का आकार 10 केबी-20 केबी के बीच होना चाहिए।
- हस्त लिखित घोषणा के लिए फ़ाइल का आकार 20केबी – 50केबी के बीच होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का आकार 20 केबी या 50 केबी से अधिक न हो (हस्त लिखित घोषणा के लिये)।
- “बड़े अक्षरों” में हस्ताक्षर / हस्त लिखित घोषणा स्वीकार “नहीं” की जाएगी।

दस्तावेजों की स्कैनिंग:

- स्कैनर का रिज़ोल्यूशन कम से कम 200 डीपीआई सेट करें (डॉट्स प्रति इंच)।
- कलर को टू कलर सेट करें।
- बाएं हाथ के अंगूठे का निशान / हस्त लिखित घोषणा के किनारे पर स्कैनर में इमेज को क्रॉप करें, फिर उसे अंतिम आकार देने के लिए अपलोड एडिटर द्वारा क्राप करें (जैसा कि ऊपर बताया गया है)।

- इमेज फ़ाइल जेपीजी अथवा जेपीईजी फ़ॉर्मेट में होनी चाहिए। नमूना फ़ाइल नाम है: इमेज01.जेपीजी अथवा इमेज01.जेपीईजी।
- इमेज आयामों की जांच फ़ोल्डर फ़ाइल की लिस्टिंग द्वारा की जा सकती है अथवा फ़ाइल इमेज आइकन पर माउस ले जाकर की जा सकती है।
- एमएस विंडोज/ एमएस ऑफिस का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थी बड़ी सरलता से एमएस पेंट अथवा एमएस पिक्चर मैनेजर का प्रयोग करके .जेपीईजी फ़ॉर्मेट में दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। फ़ाइल मेन्यू में 'सेव ऐज़' ऑप्शन का प्रयोग करके किसी भी फ़ॉर्मेट में स्कैन किए हुए दस्तावेजों को .जेपीजी / .जेपीईजी फ़ॉर्मेट में सेव किया जा सकता है। क्राप और रिसाइज ऑप्शन का प्रयोग करके इसके आकार को समाजोजित किया जा सकता है।
 - यदि फ़ाइल का आकार और फ़ॉर्मेट वैसे न हो जैसा कि बताया गया हो, तो एक त्रुटि संदेश आएगा।
 - ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय, अभ्यर्थी को अपने फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बायें हाथ के अंगूठे का निशान और हस्त लिखित घोषणा को अपलोड करने के लिए एक लिंक दिया जाएगा।

बायें हाथ के अंगूठे का निशान:

- आवेदक को काली या नीली स्याही से सफेद कागज पर अपने बाएं हाथ का अंगूठे का निशान लगाना है।
- बाएं हाथ का अंगूठे का निशान आवेदक का होना चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति का।
- बाएं हाथ का अंगूठे का निशान-
 - फाइल टाइप: जेपीजी /जेपीईजी
 - आयाम : 200 डीपीआई में 240 X 240 पिक्सल (आवश्यक विशेषता हेतु अधिमानित) यानी 3 सेमी* 3 सेमी (चौड़ाई*लंबाई)
 - फाइल आकार: 20 केबी – 50 केबी

हस्त लिखित घोषणा:

- हस्त लिखित घोषणा सामग्री अपेक्षानुसार होनी चाहिए।
- हस्त लिखित घोषणा “बड़े अक्षरों” में नहीं लिखी जानी चाहिए।
- आवेदक को काली या नीली स्याही के कलम से सफेद कागज पर स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में घोषणा को लिखना है।
- हस्त लिखित घोषणा केवल आवेदक द्वारा ही न कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा।

- हस्त लिखित घोषणा
 - फाइल टाइप: जेपीजी /जेपीईजी
 - आयाम: 200 डीपीआई में 800 X 400 पिक्सल (आवश्यक विशेषता हेतु अधिमानित) यानी 10 सेमी* 5 सेमी (चौड़ाई*लंबाई)
 - फाइल आकार: 50 केबी – 100 केबी

दस्तावेज अपलोड करने हेतु प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के दौरान अभ्यर्थी को बाएं हाथ का अंगूठे का निशान और हस्त लिखित घोषणा को अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक प्रदान किए जाएंगे।
- संबंधित लिंक “अपलोड लेफ्ट थम्ब इम्प्रेशन/ हैंड रिटन डिक्लेरेशन” पर क्लिक करें।
- ब्राउज़ करें और उस स्थान को चुनें जहां स्कैन किए गये बाएं हाथ का अंगूठे का निशान / हस्त लिखित घोषणा फाइल को सेव किया गया हो।
- इसे क्लिक करके फ़ाइल को चुनें।
- ‘ओपन / अपलोड’ बटन पर क्लिक करें। आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक आप अपने बाएं हाथ का अंगूठे का निशान और हस्त लिखित घोषणा को अपलोड नहीं करते।
- यदि फ़ाइल का आकार और फ़ॉर्मेट वैसे न हो जैसा कि बताया गया हो, तो एक त्रुटि संदेश आएगा।
- अपलोड की गई इमेज का प्रिव्यू इमेज की गुणवत्ता को देखने में मदद करेगा। अस्पष्ट / मैली होने के मामले में, उक्त को अपेक्षित स्पष्टता / गुणवत्ता के लिए फिर से अपलोड किया जायेगा।

टिप्पणी:

- (1) यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर या बाएं हाथ का अंगूठे का निशान या हस्त लिखित घोषणा अस्पष्ट/मैली है, तो अभ्यर्थी के आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा।
- (2) ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में बाएं हाथ का अंगूठे का निशान / हस्त लिखित घोषणा को अपलोड करने के बाद, अभ्यर्थियों को यह जांच करनी चाहिए कि इमेज स्पष्ट है और उसे सही तरीके से अपलोड किया गया है। यदि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान या हस्त लिखित घोषणा सही से दिखाई नहीं दे रही है, तो अभ्यर्थी अपना आवेदन संशोधित कर सकता है और प्रपत्र जमा करने से पूर्व अपने बाएं हाथ का अंगूठे का निशान / हस्त लिखित घोषणा को पुनः अपलोड कर सकता है।

- (3) ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम से उत्पन्न ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का प्रिंटआउट लें।

12. सहायता सेवा

अभ्यर्थी जो आवेदन प्रपत्र भरने, आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार के भुगतान, या ई-कॉल लेटर आदि को डाउनलोड करने के संबंध में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, वे ऐसे प्रश्नों/शिकायतों के लिये <http://cgrs.ibps.in>. लिंक देख सकते हैं। अभ्यर्थी को ईमेल के विषय में 'विभिन्न स्केलों में अधिकारियों की भर्ती - 2021' उल्लिखित करना होगा।

II सामान्य निर्देश

[कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें]

- i. आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व, अभ्यर्थियों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे जिस पद के लिये आवेदन कर रहे हैं, उसके लिये आयु, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, श्रेणी, योग्यता पश्चात/अनिवार्य कार्य अनुभव आदि के संबंध में सभी पात्रता मानदंड यथा **01.12.2021** को पूरा करते हैं और आवेदन प्रपत्र में दिये गये सभी ब्यौरे हर प्रकार से सही हैं। यदि किसी चरण में यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है, और/या उसने कोई गलत जानकारी दी है या उसने किसी तथ्य/तथ्यों को छिपाया है, तो उसकी अभ्यर्थिता समाप्त हो जाएगी। यदि इस विज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को किसी भी कारण से समाप्त कर दिया जाता है, तो इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। ऐसे निर्णय अभ्यर्थी के लिये अंतिम और बाध्यकारी होंगे। यदि ऐसी कोई त्रुटि उसकी नियुक्ति के बाद भी पायी जाती है तब भी उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
- ii. अभ्यर्थी की पात्रता, शॉर्टलिस्टिंग, साक्षात्कार का संचालन, अन्य परीक्षण, चयन, पात्रता की जांच जिन चरणों में की जानी है, योग्यता और अन्य पात्रता मानदंड, साक्षात्कार, सत्यापन आदि के संचालन के उद्देश्य हेतु प्रदान किये जाने वाले दस्तावेज और भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित कोई अन्य मामले में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा। इस मामले में बैंक द्वारा किसी पत्राचार या निजी पूछताछ या किसी प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- iii. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने के बाद उनके सिस्टम से जनरेट ऑनलाइन आवेदन

प्रपत्र का प्रिंटआउट अवश्य लें। अभ्यर्थी भविष्य के संदर्भ के लिए पंजीकरण संख्या और पासवर्ड अपने पास रखें।

- iv. एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन किसी भी अभ्यर्थी द्वारा जमा नहीं किए जायेंगे। एक से अधिक आवेदनों के मामले में केवल नवीनतम वैध (पूर्ण) आवेदन को बरकरार रखा जाएगा और अन्य एक से अधिक पंजीकरण (पंजीकरणों) के लिए भुगतान किए गए आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार जप्त कर लिये जाएंगे।
- v. ऑनलाइन परीक्षा और / साक्षात्कार में एकाधिक उपस्थिति को खारिज किया जायेगा/अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा।
- vi. एक बार ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत होने पर उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और/या एक बार भुगतान किए गए आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार वापस नहीं किए जाएंगे और न ही किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।
- vii. इस विज्ञापन और/अथवा इसके जवाब में आये आवेदन के कारण किसी भी दावे या विवाद की दशा में कोई कानूनी कार्यवाही केवल दिल्ली में एवं दिल्ली स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/मंचों पर ही की जा सकती है, किसी भी मुकदमे/विवाद की सुनवाई का एकल और अनन्य अधिकार क्षेत्र दिल्ली ही होगा।
- viii. अभ्यर्थियों की ओर से या उनके द्वारा कोई भी प्रचार करने या उनके चयन/भर्ती के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव लाने पर उन्हें अयोग्य माना जाएगा।
- ix. ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार के लिए तिथि, समय और स्थान बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित विवरण, पता बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- x. यदि अंग्रेजी के अतिरिक्त इस विज्ञापन में किसी अन्य भाषा की व्याख्या में कोई विवाद होता है तो रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।
- xi. अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी स्थानों पर यानी उसके ऑनलाइन आवेदन, ई-कॉल पत्र, उपस्थिति पत्रक आदि एवं भविष्य में बैंक के साथ होने वाले सभी पत्राचारों में उसके द्वारा किये गये हस्ताक्षर एक

जैसे हों और उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं न हो। “बड़े अक्षरों” में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

- xii. हाल ही में, पहचान योग्य फोटोग्राफ (4.5 सेमी × 3.5 सेमी) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की जानी चाहिए और अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उक्त की प्रतियां प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उपयोग के लिए संभाल कर रखी गई हैं। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक अपना रूप न बदलें। प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में समान फोटोग्राफ प्रदान न करने या किसी भी स्तर पर पहचान संदिग्ध पाने पर उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- xiii. बाएं/दाएं हाथ के अंगूठे का निशान जो स्कैन और अपलोड किया गया है, मैला नहीं होना चाहिये।
- xiv. हस्त लिखित घोषणा अभ्यर्थी के हाथ से लिखे और अंग्रेजी में ही होनी चाहिए और “बड़े अक्षरों में नहीं” होना चाहिये। यदि यह किसी और के द्वारा लिखा और अपलोड किया जाता है या किसी अन्य भाषा में है, तो आवेदन को अवैध माना जाएगा।
- xv. परीक्षा के आयोजन में किसी भी समस्या के होने की संभावना को पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जायेगा, जिसका प्रभाव टेस्ट वितरण और / या परिणाम उत्पन्न होने से होता है। इस स्थिति में, इस तरह की समस्या को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे, जिसमें अभ्यर्थी की आवाजाही, टेस्ट में देरी शामिल है। पुनः परीक्षा का आयोजन रा.आ.बैंक के पूर्ण विवेक पर है। पुनः परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के पास कोई दावा नहीं होगा। वे अभ्यर्थी जो टेस्ट वितरण की विलंबित प्रक्रिया में आना या भाग लेना नहीं चाहते, उन्हें इस प्रक्रिया से पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा।
- xvi. साक्षात्कार में भाग लेने वाले योग्य बाहरी अभ्यर्थियों को सेकेंड क्लास एसी (केवल मेल/एक्सप्रेस) या बस की आने एवं जाने की यात्रा लागत उनके द्वारा साक्ष्य प्रदान करने पर सबसे छोटे मार्ग या किये गये वास्तविक व्यय (जो भी कम हो) के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी। स्थानीय यात्रा किराये हेतु किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी, यदि पद के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो उसे साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसे किसी भी यात्रा किराया की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
- xvii. साक्षात्कार के समय, अभ्यर्थी उसके विरुद्ध आपराधिक मामला (मामले), लंबित सतर्कता मामला (मामले), यदि कोई हो, के संबंध में विवरण प्रदान करेगा। यदि अपेक्षित हो, तो बैंक स्वतंत्र सत्यापन के साथ-साथ पुलिस

रिकॉर्ड आदि का सत्यापन भी करेगा। बैंक ऐसे प्रकटन और/अथवा स्वतंत्र सत्यापन के आधार पर चयन/नियुक्ति नकारने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- xviii. रा.आ.बैंक अनधिकृत व्यक्ति/संस्थान द्वारा प्रदान किये गये किसी भी आवेदन/गलत जानकारी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी के साथ/के साथ अपने आवेदन के विवरण को साझा/वर्णित न करें।
- xix. अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के अधीन है। हालांकि, बैंक की सेवा में पुष्टि पुलिस प्राधिकारियों द्वारा उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त की संतोषजनक रिपोर्ट प्रदान करने, उनके पूर्व नियोक्ता और संदर्भितों से उसकी संतोषजनक रिपोर्ट मिलने, जाति/जनजाति/वर्ग/ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन प्रमाणपत्र का सत्यापन होने (केवल आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये) और बैंक की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार भर्ती पूर्व की सभी औपचारिकताओं के अधीन होंगी, ऐसा न होने पर उनकी नियुक्तियों/सेवाओं को बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ये नियुक्तियां बैंक के सेवा एवं आचरण विनियमों के अधीन भी होंगी।
- xx. नियुक्ति के समय, चयनित अभ्यर्थियों को जो सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) (राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों) में सेवारत हों, अपने वर्तमान नियोक्ता से मूल में उचित सेवा-मुक्ति पत्र/कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- xxi. रा.आ.बैंक किसी भी पात्रता मानदंड, चयन की विधि और अनंतिम आबंटन आदि को बदलने (रद्द/संशोधित/जोड़ने) का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- xxii. पद के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही ईमेल और/या एसएमएस द्वारा सूचनाएँ भेजी जाएंगी।
- xxiii. मोबाइल नंबर, ईमेल पते में बदलाव, तकनीकी खराबी के मामले में या अन्यथा रा.आ.बैंक के नियंत्रण से बाहर यदि सूचना/जानकारी अभ्यर्थी तक नहीं पहुंच पाती है तो इसमें बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि नवीनतम अद्यतन स्थिति जानने हेतु रा.आ.बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.nhb.org.in को अच्छी तरह से देखें।

xxiv. यदि चयन प्रक्रिया या नियुक्ति के बाद के चरण में, अभ्यर्थी की हस्त लिखित घोषणा पर लिखावट असमान/अलग पाई जाती है, तो हस्तलेख विशेषज्ञ के विश्लेषण के अनुसार, उसकी अभ्यर्थिता/नियुक्ति रद्द/समाप्त कर दी जाएगी।

xxv. अभ्यर्थियों को इस विज्ञापन में दिए गए परीक्षा के समय सोशल डिस्टेंसिंग मोड के बारे में सभी दिशानिर्देशों का पालन करना अपेक्षित है। किसी भी उल्लंघन के मामले में अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

xxvi. निम्नलिखित मदों की अनुमति परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं है:-

- i. कोई भी स्टेशनरी वस्तु जैसे पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित), कागजात, जिमेट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन / स्कैनर आदि।
- ii. कोई भी संचार उपकरण जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, इयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड आदि (अभ्यर्थी के पास अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। आरोग्य सेतु स्थिति में अभ्यर्थी का जोखिम की स्थिति दिखनी चाहिए। अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पर प्रवेश करते समय सुरक्षा गार्ड को इस स्थिति को दिखाना होगा। प्रवेश द्वार पर आरोग्य सेतु की स्थिति प्रदर्शित होने के बाद, अभ्यर्थियों को अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करना होगा, और निर्धारित स्थान पर जमा करना होगा। और बाहर निकलते समय लेना होगा)।
- ii. अन्य वस्तु जैसे गॉगल्स, हैंडबैग, हेयर-पिन, हेयर-बैंड, बेल्ट, कैप, आदि।
- iv. रिंग, ईयररिंग्स, नोज-पिन, चेन / नेकलेस, पेंडेंट, बैज, ब्रोच आदि जैसे सभी आभूषणों को अच्छी तरह से जांचना चाहिए।
- v. कोई भी घड़ी / रिस्ट वॉच, कैमरा आदि।
- vi. कोई धातु की वस्तु
- ii. खुली या पैक हुई कोई खाने की वस्तु, पानी की बोतल आदि।
- ii. कोई अन्य वस्तु जिसका उपयोग संचार साधनों जैसे कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस आदि को छिपाने के लिए अनुचित तरीके से किया जा सकता है।

इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थिता रद्द की जायेगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी जिसमें भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंध और पुलिस शिकायतें भी शामिल हैं।

अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को परीक्षा स्थल में न लाएं, क्योंकि उनके सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। आईबीपीएस या ऑनलाइन परीक्षा के संचालन से जुड़ी कोई भी एजेंसी किसी भी वस्तु के नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेगी। उक्त को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लागत या बिना किसी लागत के अभ्यर्थी की होगी।

xxvii. कदाचार/अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने हित में ऐसे किसी प्रकार के विवरण प्रस्तुत न करें जो झूठे हों, जिनके साथ छेड़छाड़ की गई हो अथवा मनगढ़ंत हों एवं ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय कोई महत्वपूर्ण जानकारी न छुपायें।

साक्षात्कार के समय अथवा बाद की चयन प्रक्रिया में यदि अभ्यर्थी निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है (अथवा पाया गया) तो

- (i) अनुचित साधनों का प्रयोग अथवा
- (ii) छद्म भेष अथवा किसी व्यक्ति द्वारा छद्म भेष का संपादन अथवा
- (iii) भर्ती से जुड़े किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करने या ब्लैकमेल करके धमकी देने या उस पर दबाव डालने या घूस के प्रस्ताव के ज़रिये उसकी अभ्यर्थिता हेतु समर्थन प्राप्त करने अथवा
- (iv) परीक्षा / साक्षात्कार हॉल में दुर्व्यवहार या टेस्ट की सामग्रियों का प्रकटीकरण, प्रकाशन, पुनःप्रस्तुतीकरण, संचारण, संग्रहण या संचारण और भंडारण या किसी भी रूप में पूर्णतः या भाग के रूप में कोई भी जानकारी या किसी भी माध्यम से, किसी भी उद्देश्य हेतु मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल रूप में सुविधा प्रदान करना अथवा
- (v) अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में नियम विरुद्ध अथवा अनुचित तरीकों का सहारा लेने अथवा
- (vi) अनुचित तरीके से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करने अथवा
- (vii) साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन अथवा इस तरह के संचार उपकरण ले जाने वाले अभ्यर्थी खुद को अपराधिक मुकदमे के अतिरिक्त निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी होंगे:
(क) साक्षात्कार/चयन प्रक्रिया से अयोग्यता का पात्र बनेंगे जिसके वे अभ्यर्थी हैं

(ख) आईबीपीएस द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में या तो हमेशा के लिए या निर्धारित अवधि के लिए निषिद्ध कर दिए जाएंगे।

(ग) यदि वे बैंक की सेवा में पहले से शामिल हैं, तो उस सेवा से उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण: रा.आ.बैंक सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए अन्य अभ्यर्थियों के साथ वैयक्तिक अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाओं (उत्तरों) का विश्लेषण करेगा। यदि इस संबंध में रा.आ.बैंक द्वारा अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में, यह अनुमान/निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रतिक्रियाएं साझा की गई हैं और प्राप्त अंक वास्तविक/वैध नहीं हैं, रा.आ.बैंक के पास संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को बिना किसी नोटिस के रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है और ऐसे अभ्यर्थियों के परिणाम (अयोग्य) पर रोक लगा दी जायेगी। इस संबंध में कोई पत्राचार शामिल नहीं किया जाएगा।

xxviii. ई- कॉल लेटर

ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के लिए केन्द्र का पता, तिथि और समय संबंधित ई-कॉल लेटर में सूचित किया जाएगा।

योग्य अभ्यर्थी अपने विवरण यानी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करके रा.आ.बैंक की अधिकृत वेबसाइट www.nhb.org.in से अपना ई-कॉल लेटर डाउनलोड करें। ई-कॉल लेटर/इंफार्मेशन हैंडआउट आदि की कोई हार्ड कॉपी डाक/कुरियर द्वारा नहीं भेजी जाएगी।

पद हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ईमेल और/एसएमएस द्वारा भी सूचना भेजी जाएगी। आईबीपीएस/रा.आ.बैंक मोबाइल नंबर, ईमेल पते में परिवर्तन, तकनीकी खराबी या अन्यथा आईबीपीएस/रा.आ.बैंक के नियंत्रण से बाहर अभ्यर्थी को ई-मेल/एसएमएस द्वारा भेजे गए किसी भी संचार की देर से प्राप्ति/गैर-प्राप्ति की जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से विवरण, अपडेट एवं किसी भी जानकारी जो कि आगे की मार्गदर्शन हेतु अद्यतित की जाएगी के लिए रा.आ.बैंक की अधिकृत वेबसाइट www.nhb.org.in देखते रहें, साथ ही भर्ती प्रक्रिया के दौरान समय-समय पर अपने पंजीकृत ई-मेल अकाउंट को देखते रहें।

xxix. घोषणाएं

भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी घोषणाओं/शुद्धिपत्र/विवरणों को केवल समय-समय पर रा.आ.बैंक की अधिकृत वेबसाइट (www.nhb.org.in) पर प्रकाशित/उपलब्ध कराया जायेगा।

XXX. अस्वीकरण

चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में गलत सूचना देने और/या प्रक्रिया का उल्लंघन करने का दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और वह रा.आ. बैंक द्वारा भविष्य में होने वाली किसी अन्य भर्ती प्रक्रिया में भी शामिल नहीं हो सकेगा। यदि ऐसी किसी घटना की जानकारी वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान नहीं हो सकी किंतु बाद में ज्ञात हुई जो वह अयोग्यता पिछली तारीख से प्रभावी होगी। रा.आ. बैंक में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा दिए जाने वाले स्पष्टीकरण/निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

नई दिल्ली

[ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें](#)

उप महाप्रबंधक

01.12.2021

मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग

स्व-घोषणा

हम आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर चिंतित हैं। परीक्षा स्थल में आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि यदि आपको नीचे दिए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण है तो ✓ (हाँ, मुझे है) or ✗ (नहीं, मुझे नहीं है) चिह्नित करें।

खांसी

बुखार

गले में खराश/ बहती नाक

सांस लेने में दिक्कत

शरीर में दर्द

- मैं कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति से निकट संपर्क में नहीं रहा/रही हूँ और मैं अनिवार्य कार्रवाई में नहीं हूँ।
- मैं कोविड-19 से मुझे संक्रमित संबंधी जानकारी/तथ्य को छिपाने की वजह से किसी अन्य को संक्रमण होने के चलते लागू विधिक प्रावधान/कार्यवाही के अध्याधीन रहूँगा।
- मुझे पता है कि आईबीपीएस ने परीक्षा केंद्र में सामाजिक दूरी और स्वच्छता के मानदंडों से संबंधित भारत सरकार के परामर्श के अनुसार उपाय किए हैं।
- मुझे इस स्व-घोषणा को भरने के लिए कहा गया है, क्योंकि मेरे मोबाइल फोन में "आरोग्य सेतु" ऐप नहीं है।
- मैं प्रमाणित कर रहा/रही हूँ कि मेरा कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है या मुझे कोविड-19 वायरस के संभावित कैरियर के रूप में चिह्नित किया गया है।

अभ्यर्थी का नाम:

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक:

की
भर्ती _____

द्वारा आयोजित
परीक्षा _____

परीक्षा तिथि: _____ सत्र: _____

परीक्षा के केंद्र का नाम: _____

तिथि सहित अभ्यर्थी के
हस्ताक्षर _____

यदि अभ्यर्थी स्क्राइब की सेवायें ले रहा है और स्क्राइब के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप नहीं है, तो स्क्राइब को भी उपरोक्त प्रारूप में स्व-घोषणा प्रस्तुत करना अपेक्षित है।